न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :—
राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 127/23
दायर दिनांकः 10.10.2023

जीसीएमएस नं. 2023/294

1 जगन 2 खिल्लो पुत्रान विशन्या 3. सोहनलाल पुत्र सूका 4 ढकेली पत्नि सूका 5 सन्तो 6 कमलेश पुत्रीयान सूका जातियान माली नि. खदराया तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——वादीगण

बनाम

1 रघुवीर पुत्र कन्हैया 2 लच्छो पत्नि रामदयाल 3 विजय पुत्र रामदयाल जातियान माली नि. खदराया तह. भुसावर जिला भरतपुर राज. 4 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955
अधिवक्ता— 1.श्री राजू सैनी ——वादीगण
2.श्री पवन तिवारी ——प्रति.

निर्णय दिनांक 18.11.2024

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 949 रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा जिसका नया आ.ख.नं. 1181 रकबा 0.66 हैक्टे. वाके ग्राम खदराया तह. भुसावर जिला भुसावर में स्थित है, जिसके वादी संख्या एक जगन 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 खिल्लो 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के काविज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

आ.ख.नं. 1181 रकबा 0.66 हैक्टे. प्रतिवादीगण संख्या एक के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के ससुर/बाबा मृतक कन्हैया पुत्र गैंदा जाति माली नि. खदराया खातेदार था। जिससे उक्त आराजी के संपूर्ण भाग को वादी संख्या 1,2 व वादी संख्या 3 लगायत 6 के पिता सूका ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.05.1988 को ऐवज 20500/— रूपये के प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2,3 के ससुर/बाबा मृतक कन्हैया से खरीद किया था और खरीद के वक्त से ही वादीगण अपने—2 हिस्से अनुसार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खातेदारी का अंकन क्रेतागण के नाम आज दिनांक तक दर्ज नहीं हो सका और खातेदारी का अंकन भी प्रतिवादीगण के नाम विरासत के आधार पर दर्ज चली आ रही है। जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के है।

खातेदारी का अंकन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की वजह से प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ती आ जाने की वजह से वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल व महरूम करने के इरादे से आराजी को किसी दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

मुन्तकिल करना चाहते है और वादीगण के कब्जे काश्त में आये दिन व्यवधान पैदा करते रहते है। जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान पहुँचाने का व आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि हमें, उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री पवन तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी व उस पर मनन किया गया। पत्रावली एंव उसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा जवाब दावा का भली भाँति अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दावे अनुसार डिक्री किये जाने बाबत सहमति जताई गई तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में भी दावे के सभी बिन्दुओं को स्वीकारा है।

अतः उक्त आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 1181 रकबा 0.66 हैक्टे. वाके ग्राम खदराया तह. भुसावर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी संख्या 1, जगन 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2, खिल्लो 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 3 लगायत 6 वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)